अनुलग्नक-I

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

. पटना/ दिनांक 06/12/2024

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-17/2024 2205... प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा अन्य पैक्सों के साथ **कुर्रे पैक्स, प्रखंड- घोषी, जिला- जहानाबाद** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 2050 दिनांक 18.11.2024 द्वारा स्थगित किया गया था

अतः उक्त आलोक में कुर्रे पैक्स के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	16.12.2024 (सोमवार) एवं 17.12.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	18.12.2024 (बुधवार) एवं 19.12.2024 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	21.12.2024 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	28.12.2024 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	28.12.2024 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	30.12.2024 (सोमवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **कुर्रे पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), घोषी (जहानाबाद) निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 11.12.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एंव मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

4. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 30.12.2024 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

5. अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 2205 पटना/ दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 2205 पटना/ दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), जहानाबाद/ पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), जहानाबाद/ वरीय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), घोषी (जहानाबाद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2205 पटना/ दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 2205 पटना/ दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2205 पटना/ दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।